न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/57/2022, रजि0 न0 2022/123

अपीलार्थी:–

श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र स्व0 श्री मंगतुराम जाति अहीर निवासी ग्राम पोस्ट गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थी:–

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:– 19.04.2022

1–अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा को आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2022 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।

2–अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।

3–अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा से जरिये पत्र क्रमांक 202 दिनाक 15.03.2022 के द्वारा जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 22.03.2022 को उपस्थित आवें।

4–अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा से अपील में बिन्दुओ पर जवाब प्राप्त न होने पर पुनः स्मरण पत्र क्रमाक 259 दिनाक 23.03.2022, 284 दिनाक 05.04.2022 के द्वारा लिखा गया किन्तु जवाब आदिनाक तक अप्राप्त है, पत्रावली का अवलोकन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

5–राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा अपील का बिन्दूवार जवाब/सूचना आदिनाक तक अप्राप्त होने की स्थिति अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

6–निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7–पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(वंदना खोरवाल)
अति0 जिला कलक्टर,(द्वितीय)
अलवर, (राजस्थान)

न्या0 अति0 जि0 कले0 एवं अति0 जि0 मजि0 प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार